कृषि

परिशिष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2019–20 अंतर्गत कृषकों में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रचार–प्रसार करने की र एवं संबंधित अभिकरणों द्वारा कार्यवाही का निर्धारण

क्र.	कार्यवाही	समयबद्ध कार्यक्रम (खरीफ)	समयबद्ध कार्यक्रम (रबी)
1	विभाग एवं क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को योजना संबंधी जानकारी प्रदाय करने हेतु प्रशिक्षण/ कार्यशाला आयोजित किया जाना है।	माह जून तृतीय सप्ताह में राज्य स्तर पर जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जिनके द्वारा माह जुलाई तक जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर कृषकों एवं कृषक मित्र (फार्मर फ्रेन्ड) को योजना की जानकारी दी जावेगी। *(कार्यवाही : कृषि विभाग, बीमा कंपनी)*	माह अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह से राज्य स्तर पर जिला स्त ट्रेनर के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जिनके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी तक जिला स्तर, ब्लॉ कार्यशाला आयोजित कर कृषकों एवं कृषक मित्र (फार्मर योजना की जानकारी दी जावेगी। *(कार्यवाही : कृषि विभाग,*
2	बीमा ईकाई स्तर पर पोस्टर को ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, बैंक शाखाएं, CSC व अन्य कार्यालयों में चस्पा किया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : बीमा कंपनी, अपेक्स व अन्य बैंक)*	नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से दिसंबर माह के तृ तक। *(कार्यवाही : बीमा कंपनी, बैंक/वित्तीय संस्थाएं)*
3	टेलीविजन पर योजना का विज्ञापन (TV Bite द्वारा) आयोजित किया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : बीमा कंपनी)*	नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से दिसंबर माह के अंत तक। *बीमा कंपनी)*
4	प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार में जानकारी का प्रकाशन	अधिसूचित प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार में योजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख बैनर में किया जाना है। जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : बीमा कंपनी)*	अधिसूचित प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार में योजना बिन्दुओं का उल्लेख बैनर में किया जाना है। नवंबर माह के से दिसंबर माह के अंत तक। *(कार्यवाही : बीमा कंपनी)*
5	बीमा ईकाई स्तर पर कृषकों को योजना संबंधित लीफलेट–पम्पलेट्स का वितरण (टोल फ्री नंबर सहित)रंगमंच/नक्कड़ नाटक द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : बीमा कंपनी, अपेक्स व अन्य बैंक)*	नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह से दिसंबर माह के *(कार्यवाही : बीमा कंपनी, बैंक/वित्तीय संस्थाएं)*
6	जिला, ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले जन समस्या निवारण शिविरों के माध्यम से योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)*	नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह से दिसम्बर माह के अंत तक। *(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)*
7	जिला एवं तहसील स्तर पर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : बीमा कंपनी)*	नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से दिसम्बर माह के *(कार्यवाही : बीमा कंपनी)*
8	कृषक मित्र (फार्मर फ्रेन्ड) के माध्यम से कृषकों को योजना संबंधित जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : कृषि विभाग)*	नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से दिसम्बर माह के अंत तक। *(कार्यवाही : कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी)*

9	रेडियो पर योजना संबंधी जानकारी का प्रसारण किया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : बीमा कंपनी)*	नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से दिसम्बर माह के अं *(कार्यवाही : बीमा कंपनी)*
10	मोबाईल एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों को योजना से अवगत करवाया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक। *(कार्यवाही : कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी)*	नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह से दिसंबर माह के अं *(कार्यवाही : कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी)*
11	जिला, ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छ.ग.ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक एवं निजी बैंकों की समस्त शाखाऐं द्वारा शिविर आयोजित कर अऋणी कृषकों का बीमा आवेदन प्रपत्र भरने एवं समस्त कृषको को योजना से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाना है।	जुलाई माह के अंत तक *(कार्यवाही : संबंधित बैंको, CSC द्वारा अपने क्षेत्रों में)*	नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह से दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह त *(कार्यवाही : संबंधित बैंको, CSC द्वारा अपने क्षेत्रों में)*
12	इं.गां.कृ.वि.वि अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र एवं DEASI योजना के माध्यम से योजना का प्रचार–प्रसार	जुलाई माह के अंत तक। *(कृषि विभाग, बीमा कंपनी, बैंक/वित्तीय संस्था, इं.गां.कृ.वि.वि)*	नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह से दिसम्बर माह के अंत तक *(कृषि विभाग, बीमा कंपनी, बैंक/वित्तीय संस्था, इं.गां.कृ.वि.वि)*

टीपः–

1. क्रियान्वयन एजेंसी :– कृषि विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इं.गां.कृ.वि.वि., संबंधित बीमा कंपनी, अपेक्स एवं अन्य बैंक।
2. वित्तीय व्यवस्था :– (क) कृषि विभाग – बीमा कम्पनी के व्यय पर।
   (ख) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग – स्वयं के व्यय पर।
   (ग) इं.गां.कृ.वि.वि. – स्वयं के व्यय पर।
   (घ) संबंधित बीमा कंपनी – स्वयं के व्यय पर।
   (ड) बैक/वित्तीय संस्थाएं – स्वयं के व्यय पर।
3. क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा जिलावार एवं मदवार प्रचार–प्रसार में किये गये व्यय की जानकारी तैयार कर पाक्षिक प्रति संचालनालय कृषि में उपलब्ध कराई जावेगी।